न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 08/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्रवण कौम मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बनियाना

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित।
: श्री कमलेश बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 बहस के दौरान अनुपस्थित।

:–निर्णयः–   दिनांकः 27.01.2025

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री कमलेश बोहरा उपस्थित आये किन्तु बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण के अभिलेख संवत 2010–22 में भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 279 रकबा 7 बिस्वा से परिवर्तित खसरा नम्बर 51 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी बने। सम्वत 2041–60 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 51 मिन से खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 है. किस्म बंजड बना एवं जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में उक्त खसरा नम्बर 114 में से 0.35 है. किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 20.06.1989 को बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी रजवास के नाम किया गया। नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 17.09.1989 को उक्त भूमि बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंट[illegible] वर्ष बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 10.05.2000 से खाते[illegible] 2075 से 78 के खाता संख्या 80 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 है. [illegible] बारानी–3 के खातेदार बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण सा. रजवास द्वारा जरिये [illegible]य पत्र नामा. संख्या 1[illegible] श्री बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति मीना निवास पीपल्या चैनपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड होकर बैंक ऑफ बडौदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

शाखा बनियाना से रहन दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति मीना की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण के अभिलेख संवत 2010–22 में भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में खसरा नम्बर 218 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 279 रकबा 7 बिस्वा से परिवर्तित खसरा नम्बर 51 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी बने। सम्वत 2041–60 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 51 मिन से खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 है. किस्म बंजड बना एवं जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में उक्त खसरा नम्बर 114 में से 0.35 है. किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 20.06.1989 को बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी रजवास के नाम किया गया। नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 17.09.1989 को उक्त भूमि बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 10.05.2000 से खातेदारी दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 के खाता संख्या 80 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 है. किस्म बारानी–3 के खातेदार बनवारी लाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण सा. रजवास द्वारा जरिये विक्रय पत्र नामा. संख्या 185 बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति मीना निवास पीपल्या चैनपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड होकर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बनियाना से रहन दर्ज हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति मीना निवास पीपल्या चैनपुरा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अधिवक्ता न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official